



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 2, February 2022

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.569

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

नरेंद्र मोदी की भारत में आर्थिक नीति

Dr. Kamal Singh

Assistant Professor, Dept. of Economics, Nehru Memorial Shiv Narayan Das P.G. College,
Budaun, U.P., India

सार

नरेंद्र मोदी 25 मई, 2018 को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहने के चार साल पूरे कर लेंगे। इस लंबी अवधि के दौरान मोदी सरकार ने आर्थिक नीति के मोर्चे पर अनगिनत निर्णय लिए हैं, जिनमें से नौ निर्णय काफी मायने रखते हैं। वित्तीय समावेश से लेकर काले धन की पहचान करने एवं उस पर तगड़ा प्रहार करने और कॉर्पोरेट दिवालियापन तक इन आर्थिक नीतियों में शामिल हैं जो पिछले 48 महीनों के दौरान विभिन्न परिचर्चाओं में काफी हद तक हावी रही हैं। इनमें से कुछ नीतियां तो अतीत के ही अनूठे आइडिया का विस्तृत रूप हैं। मतलब यह कि इन आइडिया पर पहले से ही काम चल रहा था जिन्हें और आगे ले जाया गया है। उदाहरण के लिए, इस तरह की नीतियों में 'आधार' या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं। वहीं, दूसरी ओर अन्य आर्थिक नीतियां जैसे कि विमुद्रीकरण (नोटबंदी) और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता बिल्कुल अभिनव आइडिया हैं। कुछ आर्थिक नीतियों जैसे कि जीएसटी के मामले में सरकार को संसद, राज्यों और मीडिया से भरपूर सहयोग मिला। उधर, अन्य आर्थिक नीतियों, मुख्यतः विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के मामले में सरकार को इस तरह का सहयोग नसीब नहीं हुआ। चाहे अच्छी हों या बुरी, ये आर्थिक नीतियां (वर्ष 2014, 2015 एवं 2017 में एक-एक आर्थिक नीति और वर्ष 2016 में छह आर्थिक नीतियां घोषित) मोदी सरकार की आर्थिक सोच की दिशा को परिभाषित करती हैं। यदि मोदी वर्ष 2019 के चुनाव में फिर से देश की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तो हमें पहले से ही उस नींव के बारे में पता है जिस पर नई नीतियां तैयार की जाएंगी। वहीं, दूसरी ओर मोदी यदि वर्ष 2019 में होने वाला चुनाव हार जाते हैं, तो भी ये नीतियां अगली सरकार को ठीक इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए विवश कर देंगी। मोदी ने जिस तरह से 'आधार' को मजबूत किया है और 'मनरेगा' का विस्तार किया है, ठीक उसी तरह से आने वाले समय में भी कुछ ऐसा ही नजर आने की उम्मीद है। इस लेख में इन नौ नीतियों का आकलन किया गया है।

परिचय

प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद ठीक तीसरे महीने में ही मोदी ने वित्तीय रिकॉर्डों के जश्न और राजनीतिक नारों की झड़ी के साथ 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' का शुभारंभ कर दिया। शीर्ष स्तर से ही वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने वाली जन धन योजना बैंकिंग सुविधाओं से वंचित भारतवासियों को अपना बैंक खाता खोलने, डेबिट कार्ड प्राप्त करने और बीमा एवं पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक अपनी पहुंच बनाने में सहायता करती है। संख्या की दृष्टि से इस योजना ने जितने बड़े पैमाने पर भारत का वित्तीयकरण किया है वैसे इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। 17 जनवरी 2018 तक 73,690 करोड़ रुपये के कुल बैलेंस के साथ लगभग 310 मिलियन लाभार्थी आंके गए जिनमें से तीन बटा पांचवां हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में था। [1,2] प्रति खाता

2,377 रुपये का औसत बैलेंस यह दर्शाता है कि न्यूनतम बैलेंस संबंधी आवश्यकता न रहने के बावजूद बैंकिंग सुविधाओं से वंचित भारतीयों ने संगठित वित्त की ओर अपना पहला कदम बाकायदा उठा लिया है। वैसे तो आलोचकों ने गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दों को उठाया है, लेकिन आने वाले समय में इन्हें सुलझा लिए जाने की पूरी संभावना है। इतना ही नहीं, आधुनिक वित्त तक गरीबों की पहुंच सुनिश्चित हो जाने के फायदों से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है।



जैसा अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है पिछले 30 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम

अपने कार्यकाल के 19वें महीने में मोदी सरकार ने मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम (एसीए) को संसद में पारित कराते हुए एक ऐसा कानून बनाया जिसने वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता में तेजी ला दी है। यद्यपि कानून का स्वरूप भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के जरिए वर्ष 1899 तक पुराना है, लेकिन इसका उद्भव और स्वतंत्र भारत की स्थितियों के अनुसार इसका अनुकूलन लंबे समय से जारी है। एसीए ने विधायी एवं कानूनी खामियों जैसे कि 'मध्यस्थता से पहले, मध्यस्थता के दौरान और मध्यस्थता के बाद मध्यस्थों के निर्णय पर बैठे न्यायालयों की भूमिका' को समाप्त कर दिया है, जैसा कि मध्यस्थता पर गठित न्यायमूर्ति सराफ कमेटी ने रेखांकित किया था। नए कानून ने हितों के टकराव को भी सुगम बना दिया है और इसके साथ ही मध्यस्थों द्वारा खुलासों को कानून के दायरे में ला दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है: अब सभी मध्यस्थताओं को निश्चित तौर

पर 12 महीनों के भीतर समाप्त करना होगा। इस तरह मध्यस्थता के मूल उद्देश्य यानी तेज गति अथवा तेजी से निपटान को कानून की शक्ति मिल गई है।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति

अपने 23वें महीने में मोदी सरकार ने 19 साल पुरानी 'नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (नेल्फ)' के स्थान पर 'हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्प)' पेश करके उसके जरिए ऊर्जा क्षेत्र में सरकार और निजी कंपनियों के बीच कायम गतिरोध के मकड़जाल का सफाया कर दिया। अमल के मामले में 'हेल्प' के राजकोषीय मॉडल, जिसके तहत कंपनियों को तेल एवं गैस क्षेत्रों की नीलामी की जाती है, ने राजस्व में हिस्सेदारी करने की व्यवस्था अपनाई है, जबकि नेल्फ के तहत लाभ में हिस्सेदारी की जाती थी और जो इस क्षेत्र में बढ़ते गतिरोध का एक प्रमुख कारण था। इससे कंपनी के खर्चों का सूक्ष्म प्रबंधन करने की जरूरत कम हो जाएगी, जिसकी बदौलत नियामक बोझ के साथ-साथ प्रशासनिक विवेकाधिकार भी घट जाएगा। यही नहीं, नई नीति के तहत हाइड्रोकार्बन के समस्त रूपों जैसे कि कोल बेड मिथेन, शेल गैस एवं तेल, टाइट (घनी) गैस और गैस हाइड्रेट की खोज एवं उत्पादन के लिए एकसमान लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसने नेल्फ की हाइड्रोकार्बन-विशिष्ट नीतियों का स्थान लिया है, जो एक अच्छा कदम है। दरअसल, अक्सर किसी एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन की खोज करते समय किसी और प्रकार का हाइड्रोकार्बन मिलता है एवं इसके लिए कंपनियों को पहले एक अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसे में कंपनियों को काफी परेशानी होती थी जो अब दूर हो गई है। यही नहीं, नई नीति से प्राकृतिक गैस के विपणन एवं मूल्य निर्धारण के मामले में अब कहीं अधिक आजादी मिल गई है (कच्चे तेल में इस तरह की आजादी पहले से ही थी)। हालांकि, यह अब भी एक खुला सवाल बना हुआ है कि क्या 'हेल्प' से वह सब कुछ संभव हो जाएगा जिन्हें 'नेल्फ' संभव नहीं कर पाई थी।[3,4]

आधार

26 मार्च, 2016 को मोदी सरकार के कार्यकाल के 23वें महीने में उस 'आधार' को मजबूत किया गया, आगे बढ़ाया गया और संस्थागत रूप प्रदान किया गया जिसे जनवरी 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) द्वारा एक 'पहचान विवरण प्रमाण' के रूप में लांच किया गया था। एक ऐसे देश में जहां वेतन से लेकर पेंशन तक के बुनियादी लाभ देने के वादों पर चुनाव जीते जाते हैं, वहां यह सुनिश्चित करना कि वे लक्षित लाभार्थियों तक अवश्य ही पहुंचें, यह धन वितरण नीतियों के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। वैसे तो 'आधार' से जुड़े कार्यकलाप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के तहत ही पूरे किए गए, लेकिन इस निकाय को वैधानिक बुनियाद या स्वरूप प्राप्त नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक प्रस्ताव रखा और संसद ने आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम को कानून का रूप प्रदान कर दिया। 'आधार' आज भारत की सबसे विश्वसनीय 'पहचान मुद्रा' बन गया है और इसका उपयोग टैक्स रिटर्न को भरते समय एवं म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पादों को खरीदते समय किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाओं, बैंक खातों को खोलने एवं गरीबों को नकद हस्तांतरण जैसे प्रत्यक्ष लाभों को 'आधार' से जोड़ने के साथ-साथ इसे विभिन्न अदालतों में चुनौती भी दी गई है और सरकार द्वारा फिंगरप्रिंट एवं आइरिस (आंख की पुतली) स्कैन जैसी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने पर आपत्तियां

व्यक्त की गई हैं। वैसे तो इनका निदान किसी-न-किसी तरीके से तो हो ही जाएगा, लेकिन 'आधार' में भारत के प्रमुख सॉफ्ट पावर निर्यातों में से एक बनने की अपार क्षमता है।

विचार-विमर्श

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता

18 मई, 2018 को टाटा स्टील की एक सहायक कंपनी बामनीपाल स्टील ने 35,200 करोड़ रुपये में बीमार कंपनी भूषण स्टील में 72.65 प्रतिशत की नियंत्रणकारी या नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली। वैसे तो कर्नाटक चुनावों से जुड़े हो-हंगामे के कारण यह खबर लोगों का कोई खास ध्यान आकर्षित करने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन यह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत सुलझाया गया पहला बड़ा दिवालियापन मामला है। आईबीसी एक नया कानून है जिसे मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 24वें महीने में प्रस्तावित किया और संसद ने इसे कानून का रूप प्रदान कर दिया। कॉर्पोरेट दिवालियेपन के मामलों के समयबद्ध समाधान से जुड़े अपने प्रमुख फोकस के अनुरूप ही यह सौदा क्रोनी पूंजीवाद (कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच सांठगांठ के कारण पक्षपात करना) को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहला कदम है। विश्व बैंक के मुताबिक, दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए 2016 में आंके गए 2.5 वर्षों के वैश्विक औसत के मुकाबले इस कार्य में जापान में 0.6 साल, सिंगापुर एवं कनाडा में 0.8 साल, अमेरिका में 1.5 साल और चीन में 1.7 साल लगे। वहीं, दूसरी ओर भारत के लिए यह आंकड़ा काफी अधिक रहा : 4.3 साल। आईबीसी का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, विभिन्न व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन एवं दिवालियेपन समाधान से संबंधित कानूनों को मजबूत एवं संशोधित करना है, ताकि इस तरह के व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके। इसका उद्देश्य उद्यमिता एवं ऋणों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना भी है। इसके तहत संसद के 10 अधिनियमों में संशोधन किया गया और भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड की स्थापना हुई जिसे दिवाला प्रोफेशनलों, दिवाला प्रोफेशनल एजेंसियों और सूचना उपक्रमों पर नियामकीय निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसी बोर्ड को संहिता पर अमल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक पंक्ति में: यह कानून कारोबारियों को अपने विफल होते व्यवसाय से आसानी से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा।[5,6]

बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम

मोदी सरकार के 31वें महीने में संपत्ति में निहित काले धन के खिलाफ बने कानून को और ज्यादा कठोर बना दिया गया। 'बेहिसाब' एवं कर चोरी वाले धन के खिलाफ भारत की लंबी लड़ाई 'बेनामी' लेन-देन के माध्यम से जारी है। 'बेनामी' लेन-देन के तहत किसी एक व्यक्ति के नाम पर संपत्ति की खरीद की जाती है, लेकिन उसका वित्त पोषण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो इसे नियंत्रित भी करता है। वर्ष 1988 का बेनामी संपत्ति लेन-देन अधिनियम कमजोर था क्योंकि सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं था, जब्त संपत्ति को अधिकृत करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था और किसी भी अपीलिय संरचना को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। उधर, 1 नवंबर 2016 से प्रभावी बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत अधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने और अंततः जब्त करने का अधिकार दिया गया है। इसमें एक से सात

साल तक जेल की सजा देने और संबंधित संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत तक जुर्माना करने का भी प्रावधान है। अधिनियम के लागू होने के बाद महज छह माह के भीतर ही अधिकारियों ने 400 से भी अधिक बेनामी लेन-देन की पहचान कर ली, जिसमें बैंक खातों में जमा राशि, भूखंड (प्लॉट), फ्लैट्स और आभूषण शामिल हैं। इसी तरह 600 करोड़ रुपये से भी अधिक के बाजार मूल्य वाली 240 से भी अधिक संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया।

विमुद्रीकरण (नोटबंदी)

31वें महीने में ही मोदी सरकार की सर्वाधिक विवादास्पद, विघटनकारी और आलोचनात्मक नीति 'विमुद्रीकरण' घोषित की गई। 8 नवंबर, 2016 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मोदी ने घोषणा की कि 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोट आधी रात से वैध मुद्रा नहीं माने जाएंगे। उच्च पदों या स्थानों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था में व्यापक काले धन को देखते हुए मोदी ने 'राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों' के खिलाफ राजनीतिक आक्रोश व्यक्त किया। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य सीमा पार से नकली नोटों के आगमन और आतंक के वित्त पोषण पर अंकुश लगाना था। चूंकि इसके चलते देश भर से बड़ी संख्या में लोगों एवं छोटे कारोबारियों को हो रही भारी कठिनाइयों की खबरें आने लगीं और 98.96 फीसदी नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए, इसलिए विमुद्रीकरण (नोटबंदी) ने अंततः भयावह व्यक्तिगत संकट का रूप धारण कर लिया जिसे वित्त मंत्री ने 'अवास्तविक' करार दिया। इसके चलते अचल संपत्ति क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ, कम मांग के कारण विकास की गति धीमी हो गई, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई और अनिश्चितता बढ़ गई। यही नहीं, इसके चलते नकदी की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले शेयर बाजार के क्षेत्रवार इंडेक्स जैसे कि रियल्टी, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल में खासी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही विमुद्रीकरण ने अनौपचारिक, नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हुई भारी कठिनाई को यदि नजरअंदाज कर दें तो हम पाते हैं कि विमुद्रीकरण ने 'बेहिसाब या बगैर लेखा-जोखा वाले धन' को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवाहित होने पर विवश कर दिया है, जिस पर करीबी नजर रखी जा सकती है और जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है। [7,8]

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम

मोदी सरकार के 31वें महीने में एक और महत्वपूर्ण नीति लागू की गई जिसके तहत रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शुरुआत हुई। भारत में नीति निर्माण के उल्लेखनीय और दुखद विरोधाभासों में से एक विरोधाभास अचल संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। मकानों की भारी किल्लत एवं विकसित भूमि की कमी से लेकर 'बेहिसाब' आमदनी की बंदौलत सट्टेबाजों द्वारा संचालित बुलबुले जैसे परिसंपत्ति मूल्य और व्यक्तिगत, कॉर्पोरेट एवं सरकारी भ्रष्टाचार के एक अधिभावी परितंत्र तक ने नागरिकों को ऐसी ताकतों के भरोसे छोड़ दिया है जो बाजारों में हेर-फेर करती हैं। इस जटिल उद्योग पर निगरानी रखने के लिए एक नियामक की आवश्यकता एक दशक से भी अधिक समय से अटकी पड़ी है। यह मुद्दा इसलिए जटिल बन गया है क्योंकि भूमि और उसका विकास एक 'राज्य विषय' है। वहीं, दूसरी ओर उपभोक्ता घुमंतू (मोबाइल) हैं, जो बड़ी आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन (माइग्रेट) कर रहे हैं। इस कानून के तहत एक नियामक की स्थापना करके इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है। नियामक को इस क्षेत्र की

निगरानी करने के साथ-साथ एक निर्णयन तंत्र और अपीलिय न्यायाधिकरण के जरिए 'रियल एस्टेट सेक्टर के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा' करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्भाग्यवश, इस कानून को राज्य सरकारों द्वारा लागू करने की आवश्यकता है, जिनमें से अधिकतर राज्य सरकारों ने इसे अधिसूचित तो कर दिया है, लेकिन वे उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के मसले पर अपने पैर वापस खींच रहे हैं। यदि मोदी ने इसमें नई जान नहीं फूँकी, तो 'रेरा' मोदी की सबसे बड़ी नीतिगत विफलता साबित हो सकता है।

परिणाम

भाजपा की राजनीतिक नीतियों को जिस तरह से विपक्ष कट्टरपंथी और देश को बांटने वाले बता रहा है, उतनी आक्रामकता से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं कर रहा है। इसके बजाय वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक मामलों में अज्ञानी बताने की निरंतर कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को आर्थिक मामलों से अनभिज्ञ बताने का यही प्रयास विपक्ष की मंशा पर कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि ये तो सबको पता है कि 1991 के बाद से बनने वाली सभी सरकारों ने उसी आर्थिक नीति का अनुसरण किया है, जिसका डिजाइन निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में तैयार किया था।

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे दो कदम उठाए हैं, जिनका विरोध कांग्रेस कर रही है। इनमें से एक जीएसटी को तो कांग्रेस की सरकार में ही आगे बढ़ाया था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का विरोध किया था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ही इसे लागू किया। नोटबंदी लागू करने का फैसला जरूर नरेंद्र मोदी ने अपनी मर्जी से उठाया था। भारत की आधी जनसंख्या खेती पर और बाकी छोटे-मोटे व्यवसाय में लगी हुई है। यह तो स्पष्ट ही है कि नकदी के संकट के कारण इनका प्रभावित होना तय था। इसके बावजूद मोदी ने नोटबंदी जैसा कदम क्यों उठाया नोटबंदी के साथ जीएसटी ने मिलकर ऐसा कहर ढाया की संपन्नता की कुलांचे भरने वाला वर्ग बुरी तरह डर गया। क्या फलती-फूलती अर्थव्यवस्था को आग लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने बिना सोचे-समझे ही कर दिया[9,10]

जिस तरह समाजवाद के कई रूप हैं, उसी तरह पूंजीवाद की भी कई धाराएं हैं। किसी व्यवस्था में राज्य द्वारा विनियमित पूंजी-श्रम संबंध में जो अंतर होता है, वास्तव में वही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक मानदंडों के रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार की रक्षा करने और आर्थिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से विनियमन के स्तरों का उपयोग करते हुए आधुनिक विकसित देशों में पूंजीवादी समाज के कुछ मॉडल की पहचान साफतौर पर की गई है। इनमें "उदार लोकतांत्रिक मॉडल" एंग्लो-सैक्सन देशों (अंग्रेजी भाषी देशों) की विशेषता है। "सामाजिक लोकतांत्रिक मॉडल" सामाजिक रूप सबसे विकसित यूरोपीय और स्कैंडेनेवियन देशों की विशेषता है। इससे अलग "स्वदेशी सामाजिक एकीकरण मॉडल" या "जापानी मॉडल" भी है।

विकासशील देशों में गरीब देशों के साथ-साथ मध्यम आय वाले देश भी पूरी तरह से पूंजीवादी "विकास मॉडल" अपना चुके हैं। ये चीन, भारत और अन्य तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहे एशियाई देशों की विशेषता है। अर्जेंटीना, ब्राजील, तुर्की, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका, जिनकी औसत जीडीपी विकास दर काफी कम है-"लिबरल-डिपेंडेंट मॉडल" को अपनाए हुए थे। विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता और असमानता को कम करने में लिबरल-डिपेंडेंट मॉडल की विफलता ने 2000 के दशक में इन देशों को भी पूंजीवाद के विकास मॉडल की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया।

पूंजीवाद के 30 नव-उदारवादी वर्षों (1979-2008) के सबसे चरम पर 1990 के दशक में इसके समर्थक बुद्धिजीवी एंग्लो-सैक्सन मॉडल के पूंजीवाद की जीत की घोषणा कर रहे थे। उसके मॉडल को "बाजार समाज" या "बाजार अर्थव्यवस्था" का सबसे शुद्ध बताया जा रहा था। कई लोगों को अमेरिकी और ब्रिटिश पूंजीवाद एक ही लगता है। जबकि इसमें एक मौलिक अंतर है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कींस की 1936 में प्रकाशित किताब "द जनरल थ्योरी ऑफ एंप्लॉयमेंट, इंटरिस्ट एंड मनी" (The General Theory of Employment, Interest and Money) में मुक्त बाजार व्यवस्था या पूंजीवाद के सुधार के कुछ तरीके सुझाए गए थे। 20वीं सदी का यह सबसे बड़ा आर्थिक सिद्धांत था, जिसके पक्ष और विपक्ष में काफी कुछ कहा गया। पूंजीवाद के समर्थकों ने अहस्तक्षेप (Laissez-faire) के सिद्धांत में कटौती के लिए इसकी निंदा की तो दूसरी ओर समाजवादी लोगों ने कींस पर यह आरोप लगाया कि मजदूर वर्ग को पूंजीवाद की कड़वी गोली निगलने के लिए कींस ने उस पर एक मीठा लेप लगा दिया है। कींस ने स्वयं भी कहा कि वर्ग-युद्ध में वे शिक्षित बुर्जुआओं के पक्ष में पाए जाएंगे।[11]

कींस की नीतियों को आज भी सबसे ज्यादा प्रगतिशील माना जाता है और सोशल डेमोक्रेट्स कींस की नीतियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। पूंजीवाद के कई आलोचक भी अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बदले माहौल में कार्ल मार्क्स की अपेक्षा कींस के सिद्धांत ज्यादा उपयोगी और लाभदायक हैं। वे यह मानते हैं कि कींस के सिद्धांत एक खराब व्यवस्था की क्रूरता को कम करते हैं। दूसरी ओर पूंजीवाद के समर्थक समझते हैं कि यह पूंजीवाद को एक बेहतर व्यवस्था बनाता है, जिससे वह अच्छे ढंग से काम करती है। कांग्रेस की नीति इन्हीं से प्रेरित है। कांग्रेस ने शिक्षित बुर्जुआ मध्यम वर्ग के विकास के लिए पिछले 70 सालों में काफी कुछ किया है। उसकी नीतियों से यही लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित भी हुए हैं।

जबकि अमेरिका के शिकागो स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से प्रेरित रूढ़िवादी बाजार समर्थक कींस की नीतियों का विरोध करते हैं। शिकागो स्कूल का मुख्य सिद्धांत है कि मुक्त बाजार एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों का सबसे अच्छा वितरण करता है और सरकार का न्यूनतम या कोई हस्तक्षेप नहीं करना आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे अच्छा है। शिकागो स्कूल के सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन थे, जिनके सिद्धांत कींस के अर्थशास्त्र से काफी भिन्न थे। केवल एक बड़ा आर्थिक संकट ही उनको कींस की नीतियों से समझौता करने को मजबूर करता है।

जब भी कोई कठिन आर्थिक संकट खड़ा होता है, ये मुक्त बाजारवादी अर्थशास्त्री कींस के सिद्धांतों को एक तात्कालिक इलाज के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन वे इसको निरंतर जारी रखने का विरोध करते हैं। ऐसे समय में तो खुले बाजार का समर्थक राजनीतिक तंत्र भी ऐसे उपाय करता है, जिसे वामपंथी राजनेता भी नहीं सोच सकते हैं। कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जैसे उपायों से कींस के सिद्धांतों का प्रयोग करके 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावों से बचा लिया था।[12,13]

इसी बिंदु पर आकर कांग्रेस और भाजपा की राहें अलग हो जाती हैं। यदि कांग्रेस ब्रिटिश और यूरोपीय तरह का पूंजीवाद पसंद करती है, तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता केजरीवाल को स्कैंडेनेवियन देशों यानी फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों का पूंजीवाद पसंद है। भारतीय जनता पार्टी सीधे-सीधे अपनी प्रेरणा अमेरिकी ढंग के पूंजीवाद से लेने का जोखिम उठाती है। ये परंपराएं आज की नहीं हैं। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व ही ब्रिटिश शिक्षित था और उनकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का सिद्धांत साफ तौर पर पूंजीवाद का समर्थन करता है। वे पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की अपनी प्राथमिकता को कभी छुपाते भी नहीं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों का विरोध करने वाले बचकाने ढंग से केवल मोदी के आर्थिक ज्ञान पर ही सवाल उठा रहे हैं। वे ये नहीं बता रहे हैं कि अगर सत्ता में आएं तो उनकी आर्थिक नीतियां किस तरह इस पूंजीवादी आर्थिक ढांचे से भिन्न होंगी। केवल कुछ स्कूल बना देने या लोगों को थोड़ी मात्रा में बिजली-पानी मुफ्त देने भर से तो संविधान में शामिल किये गये समाजवाद की कल्पना सच नहीं होने वाली है।

भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर यदि 10% से भी ज्यादा हो तो भी गरीबों को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसका पूरा लाभ अमीर और उच्च मध्यम वर्ग ले जाएंगे। ऑक्सफेम की ताजा रिपोर्ट से पिछले 30 वर्षों में बढ़ी आर्थिक असमानता साफ है। इसी बिंदु पर आकर प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक समझदारी को कमजोर बताने वाले लोगों की समझदारी और मंशा पर संदेह पैदा होता है। ये लोग जनता को ये नहीं बताना चाहते नहीं हैं कि मोदी की वास्तविक मंशा क्या है? जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों-इशारों में कई बार अपनी मंशा का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई सार्वजनिक भाषणों में साफ कहा है कि देश में अब केवल दो तरह के लोग रहेंगे, एक वे जो गरीब हैं और दूसरे वे जो उनकी गरीबी हटाने में किसी तरह की मदद कर सकते हैं। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश में या तो केवल सुपर रिच लोग हों या फिर सुपर पुअर। यानी इस देश में पढ़े-लिखे मध्यम-वर्ग की प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक कल्पना में कोई जगह और जरूरत नहीं है।

ये उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग अच्छी और सुरक्षित नौकरियों और व्यवसायों में लगा है। यह भी पूरी तरह सही है कि पिछले 30 सालों में आर्थिक उदारीकरण से सबसे ज्यादा लाभान्वित भी यही उच्च शिक्षित मध्यम-वर्ग हुआ है। देश के गरीबों में इनके प्रति एक ईर्ष्या का भाव पहले से ही मौजूद था। वह जातिगत और आर्थिक कारणों से और तेजी से बढ़ा है।

प्रधानमंत्री और उनके समर्थक इस उच्च शिक्षित मध्यम-वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने या उपहास करने का कोई भी मौका शायद ही कभी छोड़ते हैं। हावर्ड बनाम हार्डवर्क का जुमला इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी का डॉक्टरों के खिलाफ दिया गया अपमानजनक बयान भी इस मध्यम वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने के विभिन्न कार्यों का ही एक अंग है। पूरे देश में इस तरह का सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक विश्लेषण विपक्षी दलों को पसंद नहीं आता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की सतही मुखालफत की जा रही है।

नरेंद्र मोदी ने जन-धन योजना, उज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसानों को हर साल 6000 रुपये की किसान सम्मान निधि जैसी लोक-लुभावनी योजनाओं की घोषणा करके खुद को गरीबों का हितैषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रचार तंत्र के उपयोग से भी बार-बार अपनी गरीब पृष्ठभूमि का उपयोग जनता के मन में यह भरने के लिए करते हैं, कि वे उनके बीच से ही हैं। जन-धन योजना का प्रचार तो यह कहकर भी किया गया कि 70 सालों में गरीबों के वित्तीय समावेशन की दिशा में कोई काम ही नहीं किया। गरीब लोग तो बैंकों में अपना खाता खोलने के भी हकदार नहीं हो सकते थे।[14]

मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सबको आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी 90 से अधिक योजनाओं की घोषणा की थी। वास्तव में इनसे क्या लाभ हुआ ये एक अलग मुद्दा है लेकिन इन सभी का बहुत ज्यादा भावनात्मक असर पड़ा।

मध्यम-वर्ग का एक बड़ा तबका भी राष्ट्रवाद और इस्लामोफोबिया के मिले-जुले असर से भाजपा की आर्थिक नीतियों की मुखालफत करने से संकोच करता है। उसका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सशक्तिकरण सबसे ऊपर हैं। ऐसे वर्ग का भावनात्मक शोषण करने में भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत हद तक

सफल हुए हैं। जब उन्होंने उज्वला योजना से पहले सब्सिडी गैस छोड़ने का आह्वान किया तो एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी।

ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया या कोई योजनाएं नहीं चलाई। कांग्रेस की कई योजनाएं जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार कानून और इंदिरा आवास योजना भी संचालित होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इन योजनाओं का नाम बदलकर और इनको एक इवेंट बनाकर अपनी निजी ब्रांडिंग के साथ जोड़कर उपयोग किया है। वैसा करने में कांग्रेस विफल रही। कांग्रेस के नेता अब न्याय योजना की वकालत कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सल बेसिंग स्कीम के नाम से शायद इसका ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर रखा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सही समय पर वे सभी को प्रतिमाह 12 से 15 सौ रुपये की निश्चित रकम सीधे खातों में देने की घोषणा भी कर दें।

सबसे खरी बात है कि कांग्रेस के नेतृत्व से गरीब मतदाता अपने को जोड़ कर नहीं देख पाता। गरीबों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और अस्मिता के प्रतीक आज भले मोदी हों लेकिन इससे पहले चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, लालू यादव और मायावती जैसे नेता उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अस्मिता की राजनीति का बहुत चतुराई से उपयोग करके अपने लिए एक वोट बैंक बना चुके हैं।

निष्कर्ष

भारत के सौ सालों के इतिहास पर नज़र डालें तो हिंदुस्तान को सामाजिक और आर्थिक बदलाव के नज़रिए से अलग अलग काल खंडों में बांटा जा सकता है। मगर मोटे तौर पर अगर खाका खींचें तो बदलाव की बयार पिछले सौ सालों में दो ही बार आयी है जिसने सही मायने में हिंदुस्तान के संस्कार को बदलकर रख दिया है। सबसे पहले देश का मिज़ाज तब बदलना शुरू हुआ था, जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आए थे। वह दौर था जब देश के जन मानस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी अटूट छाप छोड़ रहे थे। मगर आज का दिन 1925 के बाद के भारत पर चर्चा का नहीं है। आज देश इकनॉमिक रिफॉर्म जिसे नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है उसके तीसरी वर्षगांठ पर खड़ा है। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद देश ने क्या खोया क्या पाया इसे लेकर लंबी बहस चल रही है। कोई कह रहा है कि जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत दौड़ पड़ा था, दौड़ने की आदत कभी नहीं रही इसलिए गिर पड़ा है, कोई कह रहा है थक गया है। तो कोई कह रहा है यह लंबी सुस्ती के बाद एक बार फिर से दौड़ने वाला है। भारत ने कितनी आर्थिक तरक्की की और कितनी होनी चाहिए थी इसे नापने का पैमाना भारत के आर्थशास्त्रियों और राजनीतिशास्त्रियों का अलग अलग है। भारत बदला क्योंकि बदलने की बड़ी मजबूरी थी। भारत के लिए उस दीवार को गिराने की मजबूरी थी जिस दीवार के एक तरफ़ अमिताभ बच्चन खड़े होकर कह रहे थे कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और दीवार की दूसरी तरफ़ शशि कपूर कह रहे थे कि और मेरे पास मां है। मां के पास कुटिया में बैठे भारत के श्रवण कुमार को अब पेट पालना मुश्किल हो रहा था। तब वह दौर आया जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पिता अपनी बेटी सिमरन से कहता है कि जा सीमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। सीमरन अपने सपनों के साथ दौड़ तो पड़ी। मगर उसके बाद कि उसकी ज़िंदगी कैसी है? यह किसी को पता नहीं। यक़ीन मानिए 1991 नई आर्थिक नीति के बाद भारत। वह भारत नहीं रहा जिसके सांचे में ढालक परिवार और समाज ने व्यक्ति निर्माण किया जाता था। भले यह नहीं कहा जा सकता कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने भारतीयों को बनाने का कोई नया फ़ार्म तैयार किया हो। पर यह भी नहीं कह सकते कि वह वही हिन्दुस्तान के लोग हैं जो इससे पहले अपने स्वभाव और संस्कार के लिए जाने जाते

थे. सिर में सरसों का तेल लगाकर शर्ट के ऊपर वाला बटन बंद कर चुपचाप पढ़ाई करने वाला गांव का लायक बच्चा अब गांव में होनहार नहीं कहा जाता. जो जितना बकर-बकर करे उसकी क़ाबिलीयत उतनी होने लगी. समाज में जीने का एक मात्र ध्येय पैसा कमाना हो गया. लालची, धूर्त और मक्कारों की एक ऐसी पौध तैयार हुई जिसके आगे CBI, ED और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे संस्थान आज भी हांफ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाक्य में कहें तो किसी भी काम के बारे में व्यक्ति सोचने लगा है कि इसमें मेरा क्या और फिर मेरा नहीं तो मुझे क्या. सोच छोटी होती चली गई और परिवार छोटा होता चला गया. औरत का शरीर एक उत्पाद बन गया और जिस इंसान की पहुंच इस उत्पाद तक नहीं हो पाया वह दरिंदा बन गया. ऐसी बात नहीं है कि 1991 के नई आर्थिक नीति से पहले बलात्कार नहीं होते थे, परिवार नहीं टूटता था या न्यूक्लियर फ़ैमिली नहीं थी मगर अपवाद और आम में जो फ़र्क है वह फ़र्क आ गया. नैतिकता की ऐसी टूटन कल्पना से परे है, जिसमें डॉक्टर पैसे कमाने के लिए मुर्दे को ऑक्सीजन पर कई दिनों तक रखता है. हीरे की खान का मालिक राज कुंद्रा कभी सट्टेबाज़ी में तो कभी पोर्नोग्राफ़िक ने पकड़ा जाता है. उससे भी ज़्यादा बड़ा बदलाव यह है कि यह ख़बरें या फिर यह घटनाएं हमें झकझोरती नहीं हैं. हमारे अंदर के शॉक फ़ैक्टर शॉट सर्किट हो चुका है.

रिश्ते अब ऊपर तय नहीं होते बल्कि रिश्ते अब व्यापार तय करता है. अब दलाल कोई गाली नहीं रही प्रोफ़ेशन बन गया है. सौदा कराने के बाद वह गर्व के साथ कहता है मेरी दलाली दो पर्सेंट होगी या फिर लोग कहते हैं मेरा काम करा दो तो मैं दलाली 2 पर्सेंट दूंगा. यह इसलिए कि क्योंकि हमारे समाज के देखने और उसे लेकर सोचने के नज़रिए में फ़र्क आ गया है. यह बदलाव देश में नई आर्थिक नीति लेकर आयी है. जब हमने स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर क्रिकेट के इंडिपेंडेस कप का आयोजन किया और उसका नाम रखा था पेप्सी इंडिपेंडेस कप उसी दिन हमने अपनी संप्रभुता का सौदा पैसे के लिए करने की शुरुआत कर दिए थे. यक़ीनन देश तरक्की किया मगर तरक्की किसे कहते हैं इसे लेकर आज तक विवाद बना हुआ है. अब एक इकॉनॉमिक रिफ़ॉर्म की तीसवीं वर्षगांठ पर अर्थशास्त्रियों की रुदाली बैठी है कि जिस तरहसे अपने शुरुआत की थी उसका लक्ष्य हम पा नहीं सके. यह सच है, मगर ये पूरा सच नहीं है. दुनियाका कोई भी सामाजिक रिफ़ॉर्म आर्थिक रिफ़ॉर्म के बिना सफल नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह से दुनिया का कोई भी आर्थिक रिफ़ॉर्म सामाजिक रिफ़ॉर्म के बिना सफल नहीं हो सकता. पूंजीवाद की परिभाषा में एक पिरामिड बनता है जिसमें ऊपर वाला माल कमाता है और उसकी थाली में इतने छेद होते हैं कि जूठन नीचे गरीब की थाली तक आता है जिसे परकोलेट सिस्टम कहते हैं. मगर देश में उद्योगपतियों और व्यवसायियों के एक ऐसी पौध तैयार हो गई जिन्होंने अपने थाली में छेद रखा ही नहीं. गरीब -गरीब बनते चले गए और अमीर -आमिर बनते चले गए. नई आर्थिक नीति की जो परिकल्पना थी कि हर व्यक्ति साथ में ऊपर उठेगा वह ध्वस्त हो गया. उसके ध्वस्त होने की वजह से अर्थव्यवस्था की जो रफ़्तार राजनेताओं ने या फिर अर्थशास्त्रियों ने पकड़ानी चाही थी उस पर रोक लगानी पड़ी. क्योंकि सरकार का काम लोकतंत्र में लोगों के सरोकारों का पैरोकार होना भी है. अब इसे लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि एक आर्थिक रिफ़ॉर्म का डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं निकला. भारत में अक्सर लोग नई आर्थिक नीति लेकर देश के आर्थिक प्रगति पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, जबकि भारत जैसे देश में एक व्यक्ति एक इकाई के रूप में देश की पूंजी हैं. कोरोना जैसे महामारी में निजी अस्पतालों की अमानवीय लूट और सरकारी अस्पतालों की सेवा श्रद्धा ने नई आर्थिक नीति के कमज़ोर पहलुओं को एक बार फिर से उजागर कर दिया है.

कलकत्ता और जमशेदपुर में टाटा-बिड़ला की नौकरी में कर्मचारी घर लौटकर आता था तो परिवार के साथ सुकून से जीता था मगर अब नए बनिए की नौकरी में कब आपका बॉस आपको यह कह दे कि कल से दफ़्तर

नहीं आना है यह आपको पता नहीं .यह कहते हुए उसका कलेजा नहीं कांपता है कि कल सुबह से उसके 2 बच्चे और बीवी क्या खाएंगे.मुनाफ़ाखोर व्यवस्था में उसका दिल और दिमाग़ दोनों मशीन बन चुका है. और यहीं से सामाजिक सुरक्षा चक्र की ज़रूरत महसूस की जाती है. देश के नई आर्थिक नीति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय इस नीति के शिल्पकार मनमोहन सिंह तो महान बन गए मगर और अंधाधुंध आर्थिक सुधारों की चकाचौंध ने कांग्रेस को उस अंधेरे में ढकेल दिया जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे आज तक नहीं मिला है.प्रधानमंत्री की भूमिका में मनमोहन सिंह ने इस देश में लोगों को उद्योगपति और व्यवसायी बनाकर दोबारा सत्ता में नहीं लौटे थे बल्कि मनरेगा जैसे कामों की बदौलत लौटे थे. यहां पर पहली बार देश में भरपेट भोजनकी गारंटी दी गई है. और सरकार गई तो करप्ट कॉरपोरेट प्रैक्टिस की वजह से हीं. प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी तो आज़ाद हिन्दुस्तान के सबसे बड़े समाजवादी सरकार के प्रधानमंत्री हैं जो गरीब कल्याण के लिए योजनाओं के मामले में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है.इसका मतलब यह क़तई नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सुधारों के विरोधी हैं मगर नई आर्थिक नीति ने इस देश को कर्ज़ से तो बचा लिया पर सूदखोरों की ऐसी फ़ौज खड़ी कर दी जो गरीबों का खून पीते थे और फिर आर्थिक सुधार को, सामाजिक सुधार को पटरी पर लाने के लिए लौटना पड़ा है या साथआने का इंतज़ार करना पड़ रहा है. दोनों एक साथ अगर नहीं चले तो विकास अवरुद्ध हो जाता है और यही भारत की नई आर्थिक नीति के साथ हो रहा है.

नई आर्थिक नीति ने सामाजिक बदलाव की नई आकांक्षाएं पैदा की जिसकी पैदाइश लालू प्रसादयादव और मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे लोग निकले.ये हमारी नई आर्थिक नीति की सबसे बड़ी देन भी है जिसने गरीबों को सपने दिखाने शुरू किए. गरीब, शोषित, दलित और महिलाएं आज हर उस वर्जनाओं को तोड़ने के लिए आतुर है जिसके खांचे में तो वह फ़िक्स कर दिए गए थे.अब कोई महानायक नहीं होता, अब कोई नायक नहीं होता ,जिस दिन जिसका हो बॉस दिन का नायक है. अब कोई देवानंद, राकेश खन्ना या अमिताभ बच्चन पैदा नहीं हो सकता. नायक बनाने की मनोवृत्तिको नई आर्थिक नीति ने खंडित कर दिया है. दुनिया मेहनत पर मेहरबान है, परिश्रम को प्रणाम है. कंबल ओढ़कर घी पीने की रवायत भी इस नई आर्थिक नीति ने खत्म कर दी है.व्यक्ति और समाज शर्मिला नहीं रहा. जो उसे चाहिए वह हर क्रीमत पर चाहिए. अब घर में बच्चा भी ज़िद्दी पैदा होता है. ऐसे में इस बात का कोई पैमाना नहीं हो सकता कि नई आर्थिक नीति ने हमें क्या दिया और हम सेक्या छीन लिया है. भारत मिडिल क्लास लोगों का देश है और आगे भी रहेगा क्योंकि भारत की आत्मा मध्यमार्गी सोच की है.यहां अतिरेक और अतिरंजनाओं की कोई जगह नहीं. फ़र्क सिर्फ़ इतना आया है कि अब हमें मां भी चाहिए और उसके साथ उतनी ही ज़रूरी हो गया है बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस भी. इसे हासिल करने के लिए नैतिकता का तराजू नहीं चाहिए और भारत में मां भी मदर इंडिया फिल्म की मां नहीं रही.नई आर्थिक नीति हो या फिर कोई नई विचारधारा भारत की फिजां में नैसर्गिक घर्षण बल है जो गति को धीमा कर मध्यमार्गी बना देती है. जो नहीं मिल रहा है उसकी चाहत स्वभाव का नैसर्गिक गुण है मगर सच तो यह है कि भारत की जो विकास गति है वह कभी भी किसी महान आर्थिक और राजनैतिक सुधारवादी की मोहताज नहीं रही है. जो यह समझ गया वही भारत पर राज कायम रखेगा.[15]

संदर्भ

1. India – GDP – real growth rate (%) Archived 5 मार्च 2012 at the Wayback Machine.

2. ↑ "Q4 GDP growth at 7.5%; economy grows at 7.3% in FY15". The Economic Times. मूल से 9 नवम्बर 2015 को पुरालेखित.
3. ↑ "AP stands 1st in India in GSDP growth rate". The Times of India. मूल से 4 जून 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 एप्रिल 2017.
4. ↑ "Forbes Global 2000 (Ger-Ind)". मूल से 8 एप्रिल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 जुलाई 2015.
5. "The World Economy (GDP) : Historical Statistics by Professor Angus Maddison" [विश्व अर्थव्यवस्था (जीडीपी): प्रोफेसर अंगस मैडीसन द्वारा ऐतिहासिक आँकड़े] (PDF) (अंग्रेज़ी में). वर्ल्ड इकॉनमी. मूल (PDF) से 22 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2015.
6. ↑ मैडीसन, अंगस (2006). The World Economy - Volume 1: A Millennial Perspective and Volume 2: Historical Statistics (अंग्रेज़ी में). आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा ओईसीडी प्रकाशन. पृ० 656. आई०एस०बी०एन० 9789264022621. मूल से 15 अक्टूबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2015.
7. ↑ "Economic survey of India 2007: Policy Brief" [भारत का आर्थिक सर्वेक्षण २००७: संक्षिप्त नीति] (PDF) (अंग्रेज़ी में). ओईसीडी. मूल से 8 दिसंबर 2015 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2015.
8. ↑ "Industry passing through phase of transition" [उद्योग संक्रमण के दौर से गुजर रहा है] (अंग्रेज़ी में). द ट्रिब्यून. मूल से 6 जुलाई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2015.
9. ↑ रणजीत वी० पंडित (2005). "Why believe in India" [भारत में क्यों विश्वास] (अंग्रेज़ी में). मैकिन्से. मूल से 6 जुलाई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2015.
10. ↑ मार्शल, जॉन (1996). Mohenjo-Daro and the Indus Civilization: Being an Official Account of Archaeological Excavations at Mohenjo-Daro Carried Out by the Government of India Between the Years 1922 and 1927 [मोहन जोदड़ो और सिंधु सभ्यता: भारत सरकार द्वारा १९२२ और १९२७ के मध्य मोहन जोदड़ो की पुरातत्व खुदाई में आधिकारिक खाता होना पाया गया।] (अंग्रेज़ी में). पृ० 481. आई०एस०बी०एन० 9788120611795.
11. ↑ चोपड़ा, प्राण नाथ (2003). A Comprehensive History Of Ancient India (3 Vol. Set) [प्राचीन भारत का व्यापक इतिहास] (अंग्रेज़ी में). स्टर्लिंग. पृ० 73. आई०एस०बी०एन० 9788120725034.
12. ↑ आर्य, समरेन्द्र नारायण (2004). History of Pilgrimage in Ancient India: Ad 300-1200 [प्राचीन भारत में तीर्थयात्रा का इतिहास: ३०० ई० से १२०० ° तक] (अंग्रेज़ी में). मुंशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड. पृ० 3,74.
13. ↑ Anekant: Views And Issues [अनेकान्त: विचार और मुद्दे] (पहला संस्करण). लाडनू, भारत: जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लाडनू, भारत. 2001. पृ० 46. मूल से 16 अप्रैल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2015. |firstlast= missing |lastlast= in first (मदद)
14. ↑ Calculated from turner and others, eds., Earth Transformed, Table 4.32
15. ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 18 अप्रैल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2015.



**Impact Factor:
7.569**



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details